झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (सी0) सं0–905 वर्ष 2017

सोनाराम पुरती, पे0 हरिचरण पुरती, निवासी ग्राम–कल्याण नगर, डाकघर एवं थाना–गुआ, जिला–सिंहभूम (पश्चिम), चाईबासा–(झारखण्ड) .... याचिकाकर्ता

बनाम्

1. राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड अपने राज्य निर्वाचन आयुक्त के माध्यम से जिनका कार्यालय निर्वाचन भवन, न्यू मार्केट चौक, रातु रोड, डाकघर–जी0पी0ओ0, थाना–सुखदेवनगर, जिला–रांची में है।
2. उपायुक्त, सिंहभूम (पश्चिम), डाकघर–चाईबासा, थाना–चाईबासा, जिला–सिंहभूम (पश्चिम), चाईबासा।
3. अंचलाधिकारी–सह–चुनाव अधिकारी, नोआमुंडी, डाकघर–गुआ, थाना–गुआ, जिला–सिंहभूम (पश्चिम), चाईबासा।
4. अनुमण्डल पदाधिकारी, जगन्नाथपुर, डाकघर एवं थाना–जगन्नाथपुर, जिला–सिंहभूम (पश्चिम), चाईबासा।

.... उत्तरदातागण

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती अनुभा रावत चौधरी**

याचिकाकर्ता के लिए :– श्री रत्नेश कुमार, अधिवक्ता

उत्तरदाता सं0 1 के लिएः– श्री सुमीत गाड़ोदिया, अधिवक्ता

उत्तरदाता–राज्य के लिएः– श्री नितीश कृष्णा, अधिवक्ता

14 / 28.03.2019 श्री रत्नेश कुमार, याचिकाकर्ता के वकील को सुना गया।

2. प्रतिवादी–राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से पेश हुए वकील श्री सुमीत गाड़ोदिया को सुना गया।

3. यह रिट याचिका निम्नलिखित राहत के लिए दायर की गई हैः

(क) परमादेश के प्रकृति का एक रिट जारी करने हेतु, जिसके तहत झारखण्ड राज्य चुनाव आयोग के राज्य चुनाव आयुक्त को निर्देश दिया जाए कि वे झारखंड पंचायत राज अधिनियम, 2001 के तहत निर्धारित प्राधिकारी को निर्देशित करे कि याचिकाकर्ता को जिला सिंहभूम (पश्चिम) के नोआमुंडी ब्लॉक की गुआ (पश्चिम) पंचायत के मुखिया पद पर निर्वाचित घोषित अथवा निर्देशित करें। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए एस0डी0ओ0, जगन्नाथपुर ने दिनांक 12.11.2016 के आदेश के तहत निर्वाचित उम्मीदवार के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया था, अतः झारखंड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा 153 (1) (बी) के अनुसार चुनाव में दूसरे स्थान पर रहने वाले याचिकाकर्ता को झारखंड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा 153 (1) (बी) के तहत विधिवत निर्वाचित घोषित किया जाना चाहिए।

(ख) परमादेश के प्रकृति का एक और रिट जारी करने हेतु, जिसके तहत झारखण्ड राज्य चुनाव आयोग के राज्य चुनाव आयुक्त को निर्देश दिया जाए कि वे याचिकाकर्ता के दिनांक 13.12.2016 के अभ्यावेदन का निष्पादन करे एवं जिला सिंहभूम (पश्चिम), चाईबासा

के नोआमुंडी ब्लॉक की गुआ (पश्चिम) पंचायत के मुखिया के पद के लिए याचिकाकर्ता को निर्वाचित घोषित करे।

4. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी सं0 1 के वकील प्रस्तुत करते हैं कि रिट याचिका स्वयं पोषणीय नहीं है।

5. इस पर, याची के वकील प्रस्तुत करते हैं कि याची ने प्रत्यर्थी सं0 1 के समक्ष अपनी 13.12.2016 दिनांकित अभ्यावेदन द्वारा शिकायत दर्ज की है, लेकिन उक्त प्राधिकारी ने अभ्यावेदन के अनुसरण में कोई कार्रवाई नहीं की है और अभ्यावेदन को अस्वीकार भी नहीं किया गया है।

6. प्रत्यर्थी सं0 1 के वकील प्रस्तुत करते हैं कि यद्यपि उसका विचार है कि अभ्यावेदन स्वयं मिथ्या विचार है, लेकिन चूंकि कोई आदेश पारित नहीं किया गया है, प्रत्यर्थी सं0 1 उस पर विचार करेगा और आदेश पारित करेगा और याची इस संबंध में एक नया अभ्यावेदन दाखिल कर सकता है।

7. दोनों पक्षों की ओर से पेश की गई दलीलों पर विचार करते हुए, यह न्यायालय पाता है कि याचिकाकर्ता को आज से एक सप्ताह की अवधि के भीतर इस रिट याचिका के अनुलग्नक–6 के रूप में संलग्न अभ्यावेदन की एक प्रति के साथ, इस आदेश की एक प्रति के साथ एक नया अभ्यावेदन प्रत्यर्थी सं0 1 के समक्ष दाखिल करने की स्वतंत्रता के साथ इस रिट याचिका का निपटारा करके न्याय के उद्देश्यों को पूरा किया जा सकेगा और ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त होने पर प्रत्यर्थी सं0 1 को याची को सुनवाई का अवसर देने के

बाद, उसके बाद चार सप्ताह की अवधि के भीतर एक युक्तियुक्त आदेश पारित करने का निर्देश दिया जाता है।

8. इस रिट याचिका का तदनुसार निपटान किया जाता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने उनसे संबंधित मामले के गुण–दोष के आधार पर पक्षकारों की प्रतिद्वंद्वी दलीलों में प्रवेश नहीं किया है।

(अनुभा रावत चौधरी, न्याया0)